राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सजना बनाम दीना 201/2013 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 05/05/2026 को पेश हो।	
05/05/2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 11/05/2026 को पेश हो।	
11/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक़ व हुक्मइम्तनाई इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके मोजा चानचकी के Recorded Tenant व कास्तकार रामसहाय पुत्र सीता, साधु पुत्र सेडा गुजरान साकिन नौरंगपुरा थे। उक्त आराजी के वर्तमान बन्दोबस्त में नए नम्बरान 324/0.18, 325/0.26, 326/0.17, 327/0.20 बने जिसका मिलान क्षेत्रफल पेश है। साधु पुत्र सेडा ला-औलाद फोत हो गया था और साधु का सगा भाई रामदयाल भी फोत हो गया था तथा उनका वारिस काबिज जायदाद रामदयाल का लडका रिछपाल बना। वादी नम्बर 2 व 3 ने दिनांक 29.10.1980 को रिछपाल पुत्र रामदयाल गुर्जर से ब-हिस्सा क्रमश: 2/3 व 1/3 बजरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र खरीद किया और इस प्रकार वादी नम्बर 2 व 3 मुताबिक हिस्सा साधु के Foot Step में आएगा और इस प्रकार खातेदार कास्तकार बने तभी से वादी संख्या 2 व 3 काबिज कास्त हैं। वादी संख्या 1 ने दिनांक 26.08.1978 व 29.08.1978 को प्रतिवादी संख्या 8 नाथा पुत्र रामसहाय से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी तभी से उक्त आराजी के हिस्सा 1/2 पर वादी नम्बर काबिज खातेदार कास्तकार हैं। इस प्रकार वादी नम्बर 1 पूर्व खातेदार रामसहाय के Foot Step पर खातेदार कास्तकार बने क्योंकि रामसहाय प्रतिवादी नम्बर 8 के पिता का देहान्त हुए करीब 15-20 साल हो गए और उसका वारिस काबिज जायदाद उसका एक मात्र लड़का नाथा बना जिसे वादी संख्या 1 ने उक्त आराजी को हिस्सो 1/2 खरीद किया। सैटलमेन्ट विभाग ने गलती से रामसहाय पुत्र सीता साधु पुत्र सेडा के नाम पर्चा जारी किया जबकि	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सजना बनाम दीना हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/1/2013	

बन्दोबस्त विभाग को इस आधार पर पर्चा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था और वादीगण के नाम से पर्चा जारी करना चाहिये था। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने बन्दोबस्त विभाग से मिलकर बिना किसी कानून के आधार पर अपने नाम से हाल मिसल हकीयत सम्वत् 2037 में नाम चढ़वा लिया जो कतई कानून के खिलाफ व गलत तथ्यों पर आधारित है। ऐसा करने को बन्दोबस्त विभाग को अधिकार हासिल नहीं था। प्रार्थीगण को नोटिस भी जारी नहीं किए। अतः बन्दोबस्त कर्मचारियों व प्रतिवादीगण की मिली भगत से यह सारी कार्यवाही अवैध है तथा काबिले निरस्तनीय है। गत खसरा नम्बर 159 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के हाल नम्बरान 324, 325, 326, 327 बने जिसमें से 324 लगायत 326 पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का नाम आया जो अवैध है तथा 327 नम्बर राम सहाय पुत्र सीता व साधु पुत्र सेढा के नाम अलग खातेदारी अंकित की है। ऐसा अलग-अलग खातेदारी करने का बन्दोबस्त विभाग को बिना पक्षकारान को सुने कोई अधिकार नहीं है। सभी कार्यवाही गलत तथ्यों पर दर्ज की है जो अवैध है। उक्त बात की जानकारी वादीगण को जब अपना नामान्तकरण पटवारी हल्का से भरने गए तो सारे उक्त हालात का मालूम पड़ा कि उक्त आराजी के खाना खातेदारी में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का नाम दर्ज हो गया। अतः इन्तकाल नहीं खुल सकता कानूनी कार्यवाही कर Record दुरूस्त कराओ। इस प्रकार प्रार्थीगण ने नकल लेकर व कानूनी सलाह लेकर वादपत्र पेश किया जो अन्दर मियाद है। वादीगण दावेदार है कि एक किता डिक्री बहक वादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि गत आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 324, 325, 326 किता 3 कल रकबा 0.61 ऐयर के वादीगण संख्या 1 हिस्सा 1/2 व वादीगण संख्या 2 हिस्सा 2/3 तथा वादी संख्या 3 हिस्सा 1/3 के खातेदार कास्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम हाल मिसल हकीयत से निरस्त कर वादीगण ब हिस्सा क्रमशः 1/2, 2/3, 1/3 का नाम दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से दवामी तौर पर पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे कास्त की उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत करने से ममनू बाज रहे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिसेज जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर निर्णय व डिक्री दिनांक 01/04/2013 पारित करते

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सजना बनाम दीना हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	201/2013	

हुए वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित अपीलार्थीयां द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस मन जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूतों को तनकीवार विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय/डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय/डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय/डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/04/2013 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 11/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |